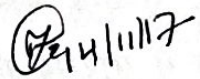
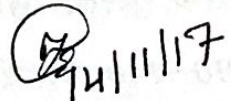


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
14.11.17	न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। <u>आदेश</u> <u>विविध वाद संख्या-157/2017</u> <u>धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u> सबिता देवी वगैरह ————— प्रथम पक्ष <u>बनाम</u> सत्यदेव प्रसाद अग्रवाल ————— द्वितीय पक्ष यह प्रक्रिया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रथम पक्ष के अधिवक्ता के माध्यम से दिये गये आवेदन दिनांक 26.08.2017 जिस पर उनके अधिवक्ता का हस्ताक्षर 31.08.2017 को दर्ज है, के आलोक में इस न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। तदनुसार पुलिस जांच प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के बाद यह प्रक्रिया दिनांक 19.09.2017 को ग्राम-सड़मा, थाना-छत्तरपुर, जिला-पलामू के खाता सं०-01, प्लॉट सं०-700, खाता सं०-39, प्लॉट सं०-110 की जमीन के लिए प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई कि क्यों नहीं प्रक्रिया अन्तर्गत निर्गत नियम किसी एक पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष की जाय। तदनुसार दोनों पक्ष न्यायालय में अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष की ओर से एक लिखित बहस को ही कारण पृच्छा बताकर कारन पृच्छा के रूप में समर्पित किया गया है। प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा के अवलोकन से प्रथम पक्ष के दावे का सार यह है कि श्रीमती शशि प्रभा अग्रवाल द्वारा	8/109 8/112

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2 विवादी जमीन को निबंधित विक्रय पत्र सं०-5798/5680 दिनांक 27.07.2012 के द्वारा क्रय किया गया है। प्रथम पक्ष अपने लिखित बहस सह कारन पृच्छा के कंडिका-4 में स्पष्ट किया है कि विवादी खाता सं०-01, प्लॉट सं०-700 एवं 100 को लेकर अब तक कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। कंडिका-8 में प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि विवादी जमीन पर बाजबरजस्ती निर्माण कर कैंटिन खोला गया है जिसे एक चन्द्रवंशी चलाते हैं। विवादी जमीन पर पिलर का निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा किये जाने की बात को भी स्वीकार किया गया है। प्रथम पक्ष के लिखित बहस सह कारण पृच्छा के पारा-9 में द्वितीय पक्ष के निबंधित विक्रय पत्र सं०-998/2011 को पूरी तरह से जाली एवं गलत दस्तावेज बताया गया है। पारा-11 में नामांतरण अपील वाद सं०-03/2012-13 को एक अलग विवाद बताया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कारन पृच्छा के अवलोकन से उनके दावे का सार यह है कि विपक्षी से कभी कोई शांति भंग होने की संभावना नहीं है। द्वितीय पक्ष एक सुयोग्य वास्तुकार हैं और एक वरिष्ठ नागरिक हैं। जिनकी समाज में एक पहचान एवं प्रतिष्ठा है, जिनसे शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। द्वितीय पक्ष का आगे कथन है कि पुलिस रिपोर्ट के आलोक में यह प्रक्रिया चलने योग्य नहीं है, क्यों कि पुलिस रिपोर्ट में ही स्पष्ट है कि विवादी भूमि पर कैंटिन निर्मित है एवं चल भी रहा है। पुलिस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि विवादी भूमि कॉलेज परिसर है। ऐसी स्थिति में कोई विवाद द० प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत नहीं चल सकता है। खाता सं०-01,	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्लॉट सं०-700 एवं खाता सं०-39, प्लॉट सं०-110 की जमीन निबंधित विक्रय पत्र सं०-9931, दिनांक 01.10.2011 के द्वारा ट्रस्ट के नाम से हासील की गई है और उक्त सम्पत्ति माता दौलती देवी बैजनाथ प्रसाद अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की सम्पत्ति है और उक्त निबंधित विक्रय पत्र का नामांतरण भी नामांतरण वाद सं०-550/2011-12 के द्वारा हो चुका है। इनका आगे कथन है कि प्रथम पक्ष के विक्रेता शशि प्रभा अग्रवाल द्वारा निबंधित विक्रय पत्र सं०-9931/2011 के नामांतरण के विरुद्ध दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-03/2012-13 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, छत्तरपुर के समक्ष दाखिल किया गया था, जिसे भूमि सुधार उपसमाहर्ता महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.08.2016 द्वारा उक्त अपील खारिज कर दिया गया और द्वितीय पक्ष के नामांतरण के आदेश को संपुष्ट किया गया। द्वितीय पक्ष की ओर से अपने कारन पृच्छा में यह भी कहा गया है कि प्रथम पक्ष के आवेदन में सिर्फ प्लॉट सं०-700 का ब्यौरा दर्ज है, तथापि प्रक्रिया प्लॉट सं०-110 पर भी पुलिस रिपोर्ट के आलोक में प्रारम्भ की गई है। इस प्रकार उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना। उनके द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि का वर्तमान में मांग माता दौलती देवी वैद्यनाथ प्रसाद अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चल रहा है, जबकी मुटेशन अपील वाद सं०-03/2012-13 शशि प्रभा अग्रवाल बनाम सत्यदेव प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य को भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2016 को अस्विकृत कर दिया गया है तथा वर्तमान में	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई के टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	वाद भूमि का नामांतरण प्रथम पक्ष के पक्ष में नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष ने अपने कारण पृच्छा के कंडिका-8 में लिखा है कि वाद भूमि पर एक कैंटिन के नाम पर निर्माण कर दुकान चलाया जा रहा है तथा पिलर निर्माण कर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के भूमि को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादी भूमि सन 2011 ई0 में ही ट्रस्ट द्वारा निबंधित दस्तावेज से हासिल कर ली गयी है, जबकी प्रथम पक्ष ने सन 2012 ई0 में उसी भूमि के अंश भाग को शशि प्रभा अग्रवाल से कय किये जाने की बात कही गयी है। इस प्रकार वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष का दावा ठोस सबूतों एवं दस्तावेजों पर आधारित है। अतः निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में निरपेक्ष तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।  अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	